भारत संघ

बनाम

एस. आर. धींगड़ा व अन्य

दिसम्बर 14, 2007

(ए.के. माथुर और मार्कंडेय काटजू, जे.जे.)

सेवा अधिनियमः

रनिंग अलाउंस-रेल्वे में 'रनिंग स्टॉफ को दिया जाता है, वेतन के अलावा-रनिंग स्टॉफ' के लिये पेंशन की गणना 'रनिंग अलाउंस' को ध्यान में रखकर की जाती है-उत्तरदाता। रनिंग स्टॉफ 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त हैं-ओएम दिनांक 10-2-1998 के अनुसार, 1986 से पूर्व के सेवानिवृत्त लोगों का वेतन 1-1-1986 को काल्पनिक आधार पर संशोधित किया। रेल्वे बोर्ड द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया कि 1.1.1986 को काल्पनिक आधार पर वेतन के पुनः निर्धारण के समय 'रनिंग अलाउंस' पर विचार नहीं किया जायेगा। ट्रिब्यूनल द्वारा ठहराया गया औचित्य खारिज किया गया-अभिनिर्धारित-उचित नहीं-पेंशन की गणना के लिये 'रनिंग अलाउंस' पर केवल एक बार विचार किया जा सकता है-सेवानिवृत्ति के समय उत्तरदाताओं को पहले से दिये गये 'रनिंग अलाउंस' का लाभ दोबारा नहीं दिया जा

सकता है। ओएम दिनांक 10-2-1998 - रेल्वे बोर्ड द्वारा जारी स्पष्टीकरण वैध था-भारतीय रेल्वे स्थापना कोड-नियम.2544(जी)।

एक ही रैंक के कर्मचारियों के दो समूह - अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त हो रहे हैं - अभिनिर्धारितः एक समूह दूसरे समूह को दिये गये लाभ का दावा इस आधार पर नहीं कर सकता कि वे समान स्थिति में हैं - हालांकि वे एक ही रैंक के साथ सेवानिवृत्त हुये, लेकिन वे समान वर्ग या सजातीय समूह नहीं हैं-अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है-भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 14..

रेल्वे में 'रनिंग स्टॉफ' यथा रेल्वे ट्रेन के साथ चलने वाले ड्राईवर, गार्ड, शंटर आदि अपने वेतन के अलावा 'रनिंग अलाउंस' नामक भत्ते के हकदार होते हैं। रेल्वे में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों और रनिंग भत्ते के एक हिस्से के आधार पर की जाती है, जो भारतीय रेल्वे स्थापना संहिता के नियम 2544(जी) के संदर्भ में औसत परिलब्धियों में शामिल है।

वर्तमान विवाद रनिंग स्टॉफ की पेंशन से संबंधित है जो 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुये थे।

5 वें वेतन आयोग की एक सिफारिश को लागू करने के लिये 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को 1986 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के साथ समानता देने के लिये 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों का वेतन

1.1.1986 के अनुसार तय किया गया था जो आय निर्धारित की गयी थी वह औसत परिलब्धियों के आधार पर तय की गयी थी। दिनांक 10.2.1998 को एक कार्यालय ज्ञापन सभी सरकारी कर्मचारीगण जो 1.1.1986 या इससे पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके थे उनके काल्पनिक वेतन के स्थायीकरण के लिये जारी किया गया था। कुछ शंका व संदेह के कारण एक स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्या रनिंग भत्ता को 10.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसरण में फिर से काल्पनिक वेतन के निर्धारण के लिये जोड़ा जावे। दिनांक 29.12.1999 को रेल्वे बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी किया कि रनिंग अलाउंस 1.1.1986 को काल्पनिक आधार पर वेतन के पुनःनिर्धारण के समय विचार में नहीं लाया जा सकता है।

उत्तदाताओं ने उक्त स्पष्टीकरण को चुनौती देते हुये ट्रिब्यूनल के समक्ष आवेदन दायर किया। अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि केवल वेतन दिनांक 10.2.1998 के ओएम के अनुसार काल्पनिक रूप से तय किया जाना था और इसीलिये रनिंग अलाउंस को फिर से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रनिंग अलाउंस केवल तभी जोड़ा जायेगा जब वेतन के आधार पर औसत परिलब्धियों की पुर्नगणना की गयी हो और ऐसा औसत परिलब्धियों के पुर्नगणना का कार्य विशेष रूप से 10.2.1998 के कार्यालय ज्ञापन के द्वारा बाहर रखा गया है। अधिकरण ने उत्तरदाताओं के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया तथा रेल्वे बोर्ड के स्पष्टीकरण दिनांक 29.12.1999 को

खारिज किया। इसके खिलाफ अनेकों रिट याचिकायें उच्च न्यायालय में दायर की गयी जिसमें से एक इस न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी।

कोर्ट ने ट्रांसफर केस की अनुमति दी। न्यायालय द्वारा- अभिनिर्धारित किया-

1.1-कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.2.1998 के तहत सेवानिवृत्ति के समय उत्तरदाताओं को दिया गया रनिंग भत्ते का लाभ दोबारा नहीं दिया जायेगा। (पैरा 26)

1.2. रेल्वे बोर्ड के दिनांक 29.12.1999 के स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया है कि रनिंग अलाउंस जो पहले से ही सेवानिवृत्त होने के समय पेंशन और अन्य लाभों के लिये विचार में लाया गया था उसे 1986 से पहले सेवानिवृत्त लोगों के 1.1.1986 को काल्पनिक वेतन में नहीं लेने का आधार वैद्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्तरदाताओं को 1.1.1986 से काल्पनिक लाभ गलत तरीके से तय किया गया था और ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन मिल रही है। यह तय किया जा चुका है कि एक गलती किसी भी पक्ष को कोई अधिकार नहीं देती है और उसे सुधारा जा सकता है। (पैरा 23) (754-बी-सी)

1.3. पेंशन की गणना के लिये रनिंग भत्ते के लाभ को केवल एक बार ही ध्यान में रखा जाना चाहिये। उत्तरदाताओं की सेवानिवृत्ति के समय उनकी पेंशन तय करते समय इसे ध्यान में रखा गया था। भविष्य की

किसी भी गणना के लिये इसे दोबारा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। (पैरा 24) (754-सी-डीजे)

1.4. जब एक ही रैंक के कर्मचारियों के दो समूह अलग-अलग समय पर सेवानिवृत्त होते हैं, तो एक समूह दूसरे समूह को मिलने वाले लाभ का दावा इस आधार पर नहीं कर सकता कि वे समान स्थिति में हैं। हालांकि वे एक ही रैंक से सेवानिवृत्त हुये हैं, लेकिन वे एक ही वर्ग या सजातीय समूह के नहीं हैं। इसीलिये अनुच्छेद 14 लागू नहीं होता है। नियोक्ता किसी भी नयी पेंशन/सेवानिवृत्ति योजना को शुरू करने या किसी मौजूदा योजना को बंद करने के लिये वैध रूप से एक कट-ऑफ तारीख तय कर सकता है। भेदभावपूर्ण यह है कि भूतलक्षी प्रभाव से (या भविष्यलक्षी प्रभाव से) लाभ की शुरूआत है, जिसमें मनमाने ढ़ंग से कट-ऑफ तारीख तय की जाती है, जिससे पेंशनभोगियों के एक ही समरूप वर्ग को दो समूहों में विभाजित किया जाता है और उन्हें अलग-अलग उपचार के अधीन किया जाता है। (पैरा 25) (754-डी-एफ)

कर्नल बी.जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार। (2006) 11 एस.सी.सी. 709, डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एस.सी.सी. 305, कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ (1990) 4 एस.सी.सी. 207, इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग बनाम भारत संघ (1991) 2 एस.सी.सी. 104, वी. कस्तूरी बनाम प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, (1998) 8

एस.सी.सी. 30 और यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम डॉ. विजयपुरापु सुब्बायम्मा, (2000) 7 एस.सी.सी. 662, पर भरोसा किया गया।

एफ.जी. अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड और अन्य। वी.सी.आर. रंगधमैया और अन्य (1997) 6 एस.सी.सी. 623, संदर्भित।

सिविल मूल क्षेत्राधिकारः स्थानांतरित मामला (सिविल) संख्या 106/2006

ए. शरण, ए.एस.जी., कुमार रोजष सिंह, सत्यकाम, अमित आनंद, बी. कृष्णा प्रसाद - याचिकाकर्ता की ओर से।

आर. वेंकटरमणी, जे.एम. खन्ना, वाई, राजा गोपाल राव, वाई. रमेष और वाई. विस्मई राव - उत्तरदाताओं की ओर से।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया।

मार्कंडेय काटजू, जे.

1. रिट याचिका संख्या 4648/2002 जिसका शीर्षक भारत संघ और अन्य है बनाम एस.आर. ढ़ींगरा और अन्य को दिल्ली उच्च न्यायालय में दायर किया गया था और उसके बाद स्थानान्तरण याचिका (सिविल) संख्या 278/2005 में दिनांक 9.5.2006 के आदेश द्वारा इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

2. ऐसा प्रतीत होता है कि इसी तरह के मामले दिल्ली उच्च न्यायालय, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष लंबित थे और उन मामलों में आगे की कार्यवाही को इस मामले में फैसले की प्रतीक्षा में रोकने का आदेश दिया गया था जिसे आदेश दिनांक 9.5.2006 द्वारा इस न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया था।

3. मामले के तथ्य यह हैं कि रेल्वे के कुछ कर्मचारी जेसे ड्राईवर, गार्ड, शंटर आदि होते है, जो रेल्वे ट्रेन के साथ चलते हैं और उन्हें 'रनिंग स्टॉफ' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऐसे कर्मचारी 'रनिंग अलाउंस' नामक भत्ते के हकदार हैं जो उनके वेतन से अलग है। रेल्वे में सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन की गणना औसत परिलब्धियों और रनिंग भत्ते के एक हिस्से के आधार पर की जाती है जो भारतीय रेल्वे स्थापना संहिता के नियम 2544 (जी) के संदर्भ में औसत परिलब्धियों में शामिल है। मौजूदा विवाद 1986 से पहले सेवानिवृत्त हुये रनिंग स्टॉफ की पेंशन से जुड़ा है।

4. इसके संशोधन नियम 2544 (जी) से पहले पेंशन की गणना के लिये वेतन में अधिकतम 75 प्रतिशत वेतन और अन्य भत्ते को जोड़ा जाता था। इसके बाद दिनांक 5.12.1988 की अधिसूचना द्वारा नियम 2544 में संशोधन किया गया और संशोधित वेतनमान में रनिंग भत्ते की

अधिकतम सीमा वेतन का 45 प्रतिशत तय की गयी। इसके बाद एक अन्य संशोधन द्वारा इसे औसत वेतन का 55 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया।

5. इस संशोधन की वैधता को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक याचिका के माध्यम से चुनौती दी गयी थी, जिसे एर्नाकुलम बेंच ने दिनांक 20.4.1990 के आदेश द्वारा अनुमति दी थी और लागू अधिसूचना को नियम 2544 (जी) के संशोधन को पूर्वव्यापी प्रभाव दिये जाने तक की सीमा तक रद्द कर दिया गया था।

6. ट्रिब्यूनल की एक अन्य पीठ द्वारा एक विपरीत दृष्टिकोण अपनाया गया था और इसीलिये मामले को पूर्ण पीठ के पास भेजा गया था और पूर्ण पीठ एर्नाकुलम पीठ द्वारा लिये गये दृष्टिकोण से सहमत थी।

7. इस मामले को अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड और अन्य बनाम सी.आर. रंगधमैया और अन्य (1997) 6 एस.सी.सी. 623 में इस न्यायालय में अपील में ले जाया गया, जिसमें पूर्ण पीठ के फैसले को बरकरार रखते हुये 25.7.1997 को अपना फैसला सुनाया गया।

8. यह उल्लेख किया जा सकता है कि ट्रिब्यूनल ने संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान के तहत राष्ट्रपति की शक्ति का प्रयोग करते हुये भारतीय रेल्वे स्थापना संहिता के नियम 2544 के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 05.12.1988 को भूतलक्षी प्रभाव के साथ संशोधित किये जाने को पूर्वव्यापी संचालन को रद्द कर दिया था। उपरोक्त निर्णय में इस न्यायालय

ने भारत संघ और रेल्वे प्रषासन द्वारा दायर अपीलों को खारिज कर दिया और ट्रिब्यूनल की पूर्ण पीठ द्वारा लिये गये दृष्टिकोण को बरकरार रखा।

9. इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णय को लागू करने के लिये रेल्वे बोर्ड ने 14.10.1997 को निर्देश जारी किये कि 1.1.1973 से 4.12.1988 के बीच सेवानिवृत्त हुये रेल्वे रनिंग स्टॉफ की पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों की फिर से गणना की जानी चाहिये और बकाया पेंशन की पुर्नगणना के आधार पर उन्हें तदनुसार भुगतान किया जाये।

10. इस बीच पांचवे वेतन आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी और 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के संबंध में कुछ सिफारिशों के कार्यान्वयन में कार्मिक और पीडब्ल्यू विभाग ने 27.10.1997 को ओएम जारी किया कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन को 1.1.1996 को उनकी मौजूदा पेंशन/पारिवारिक पेंशन, मंहगाई राहत, अंतरित राहत फर्स्ट और अंतरिम राहत सैकिण्ड और 40 प्रतिशत का फिटमेंट वेटेज एक साथ जोड़कर समेकित किया जायेगा। उक्त संशोधन मौजूदा पेंशन के आधार पर किया जाना था। इसमें कोई विवाद नहीं है कि उक्त राहत यहां उत्तरदाताओं को दी गयी थी और उन सभी को उत्तरदाताओं के साथ समान रूप से रखा गया है।

11. 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों को 1986 के बाद के सेवानिवृत्त लोगों के साथ समानता देने के लिये 5 वें वेतन आयोग की एक

और सिफारिष को लागू करने के लिये 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों का वेतन उसी आधार पर 1.1.1986 से तय करने का निर्णय लिया गया। हालांकि, यह विशेष रूप से प्रदान किया गया था कि इस प्रकार निर्धारित वेतन को औसत परिलब्धियों के रूप में माना जायेगा। तदनुसार, 10.2.1998 को एक और कार्यालय ज्ञापन जारी किया गया जिसमें उन सभी सरकारी कर्मचारियों के अनुमानित वेतन के निर्धारण का प्रावधान किया गया जो 1.1.1986 से पहले 1.1.1986 को सेवानिवृत्त हुये थे। वेतन 1.1.1986 से संशोधित वेतनमान में काल्पनिक आधार पर तय किया जाना था। यह प्रावधान किया गया था कि 1.1.1986 को प्राप्त अनुमानित वेतन को पेंशन की गणना के उद्देष्य से औसत परिलब्धियों के रूप में माना जायेगा और तदनुसार पेंशन की गणना 1.1.1986 की तत्कालीन निर्धारित पेंशन फॉर्मूला के अनुसार की जायेगी। (तत्कालीन फॉर्मूला औसत परिलब्धियों का 50 प्रतिशत था। इस प्रकार अनुमानित वेतन का 50 प्रतिशत 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों की पेंशन के रूप में माना जाना था।)

12. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त, सॉलिसिटर जनरल, श्री अमरेन्द्र शरण ने कहा कि दिनांक 10.2.1998 के ओएम में यह स्पष्ट है कि जो तय किया जाना है वह काल्पनिक आधार पर वेतन है और नियमों के अनुसार वेतन में रनिंग अलाउंस शामिल नहीं

है। हालांकि, औसत परिलब्धियों की गणना के लिये रनिंग अलाउंस एक प्रासंगिक कारक है। उन्होंने तर्क प्रस्तुत किया कि उक्त ओएम में स्पष्ट रूप से प्रावधान है कि इस प्रकार प्राप्त अनुमानित वेतन को औसत परिलब्धियों के रूप में माना जायेगा, जिसका अर्थ है कि नियम 2544 में प्रदान किये गये अन्य सभी तत्व जो अन्यथा औसत परिलब्धियों की गणना के लिये भुगतान में जोड़े जा सकते थे, उन्हें स्पष्ट रूप से बाहर रखा गया है। उन्होंने आगे तर्क रखा कि अनुमानित रूप से निर्धारित वेतन में मौजूदा (1986 से पहले) मूल वेतन, महंगाई वेतन, अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, तदर्थ मंहगाई भत्ता, मूल वेतन पर गणना की गयी अंतरिम राहत की पहली और दूसरी किष्त और मौजूदा वेतनमान में 30 प्रतिशत मूल वेतन रनिंग भत्ते के वेतन तत्व के रूप में, और मौजूदा मूल वेतन के 20 प्रतिशत की दर से फिटमेंट वेटेज शामिल हैं।

13. 24.7.1998 को विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि ऐसे मामलों में जहां 1.1.1986 को वेतन के अनुमानित निर्धारण के आधार पर 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों की संशोधित पेंशन की राशि पहले से आहरित समेकित पेंशन की राशि से कम होती है तब मौजूदा पेंशन को संशोधित करने और संशोधित पीपीओ जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

14. कुछ संदेह और भ्रम के कारण दिनांक 10.2.1998 के ओएम के अनुसार यह स्पष्टीकरण मांगा गया था कि क्या एक काल्पनिक वेतन तय करते समय रनिंग अलाउंस को फिर से जोड़ा जाना था। 29.12.1999 को रेल्वे बोर्ड ने स्पष्टीकरण जारी किया कि 1.1.1986 को काल्पनिक आधार पर वेतन के पुनः निर्धारण के समय रनिंग भत्ते पर विचार नहीं किया जाना था।

15. उक्त स्पष्टीकरण को उत्तरदाताओं द्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के समक्ष एक मूल आवेदन के माध्यम से चुनौती दी गयी थी। 22.10.2000 को अपीलकर्ताओं (ओए में प्रतिवादियों) ने केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली के समक्ष प्रतिवादियों (ओए) में अपीलकर्ताओं के मूल आवेदन पर अपना विस्तृत जवाब दिनांक 28.5.2001 को दाखिल करके चुनौती दी, जिसमें मूल आवेदनों की पोषणीयता के संबंध में प्रारंभिक आपत्ती भी थी। यह बताया गया कि दिनांक 10.2.1998 के ओएम के अनुसार केवल वेतन को काल्पनिक रूप से तय किया जाना था और इसीलिये रनिंग भत्ते को फिर से जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि रनिंग भत्ते को केवल तभी जोड़ा जायेगा जब इस प्रकार निर्धारित वेतन के आधार पर औसत परिलब्धियों की पुनर्गणना की जानी थी। औसत परिलब्धियों की पुनर्गणना किये जाने को दिनांक 10.2.1998 के उक्त ओएम द्वारा विशेष रूप से बाहर रखा गया था।

16. 22.12.2002 को केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ, नई दिल्ली ने एक आदेश पारित कर उत्तरदाताओं के ओ.ए. को अनुमति देते हुये रेल्वे बोर्ड के दिनांक 29.12.1999 के स्पष्टीकरण को रद्द कर दिया। इसके बाद दिल्ली उच्च न्यायालय में विभिन्न रिट याचिकाएं दायर की गयी और अंततः रिट याचिका संख्या 4648/2002 को इस न्यायालय के दिनांक 9.5.2006 के आदेश द्वारा इस न्यायालय में स्थानान्तरित कर दिया गया (जैसा कि पहले ही उपर बताया गया है)।

17. हमने रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया और पक्षों के विद्वान वकीलों को सुना।

18. अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं की पेंशन जो कि अध्यक्ष, रेल्वे बोर्ड और अन्य बनाम सी.आर.जी. रंगधमैयया और अन्य (सुप्रा) में इस न्यायालय के फैसले के आधार पर पुनर्गणना की गयी थी, पूरी तरह से सुरक्षित है और उत्तरदाता भविष्य में भी लाभ लेना जारी रखेंगे। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि उत्तरदाताओं के पेंशन लाभ जो 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त हुये थे, का काल्पनिक वेतन 1.1.1986 से निर्धारित किया जाना था और आगे की पेंशन भी रेल्वे बोर्ड की नीति के अनुसार रनिंग भत्ते को ध्यान में रखे बिना 5 वें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिये 1.1.1986 से सेवानिवृत्ति के लाभों को संशोधित करते हुये पुनः निर्धारित की जानी थी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि

कार्मिक और पीडब्ल्यू विभाग द्वारा जारी की गयी और रेल्वे बोर्ड द्वारा अपनायी गयी नीति और 1.1.1986 से पहले सेवानिवृत्त हुये कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति लाभ जारी करने के संबंध में रेल्वे बोर्ड द्वारा जारी किये गये परिपत्रों में कोई कमी नहीं थी।

19. अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क प्रस्तुत किया कि पेंशन को काल्पनिक रूप से तय करते समय, एक लिपिकीय गलती के कारण इसे बहुत अधिक राशि पर तय किया गया था और जब इस त्रुटि का पता चला, तो बाद में इसे ठीक कर दिया गया और उत्तरदाताओं की पेंशन को सही ढ़ंग से संशोधित किया गया।

20. हमने पक्षों के विद्वान वकीलों के तर्को पर सावधानीपूर्वक विचार किया है और हम विद्धान अतिरिक्त सॉलीसिटर जनरल के तर्क से सहमत हैं।

21. इस संबंध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि रेल्वे बोर्ड ने अपने पत्र दिनांक 29.12.1999 के माध्यम से कार्मिक एवं पीडब्ल्यू विभाग, जो भारत सरकार का पेंशन संबंधी मामलों पर नीति निर्देश तैयार करने के लिये नोडल विभाग है, द्वारा जारी दिनांक 10.2.1998 के पूर्व निर्देशों के लिये एक स्पष्टीकरण जारी किया गया था।

22. कार्मिक एवं पीडब्ल्यू ई विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 45/86/97-पी डब्ल्यू (ए) पं. III दिनांक 24.7.1998 रेल्वे बोर्ड के

पत्र क्रमांक एफ(ई)-III/98/पी.एन.-1/2 दिनांक 02.09.1998 द्वारा परिचालित द्वारा भी स्पष्ट किया है कि यदि 1.1.1986 को वेतन के काल्पनिक निर्धारण पर संशोधित पेंशन इससे कम होती है तो पेंशनभोगी द्वारा पहले से ही ली जा रही पेंशन को कम करके उनके लिये अहित नहीं किया जाना चाहिये। चिकित्सा अधिकारियों के मामले में, कार्मिक और पेंशनभोगी कल्याण विभाग ने अपने ओएम नम्बर 45/3/99-पी एण्ड पीडब्ल्यू (ए) दिनांक 12.10.1999 रेल्वे बोर्ड के पत्र संख्या एफ(ई)-प्प्प्/98/पीएन-1/29 दिनांक 12.11.1999 द्वारा प्रसारित के माध्यम से पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गैर-अभ्यास भत्ता जो पहले से ही सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और अन्य लाभ की गणना के लिये ध्यान में रखा गया था, 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के 1.1.1986 को काल्पनिक आधार पर संशोधित किये गये वेतन में नहीं जोड़ा जायेगा क्योंकि यह उनके दिनांक 10.2.1998 के निर्देशों के पैरा संख्या 2 के संदर्भ में स्वीकार्य नहीं है। रनिंग भत्ते की प्रकृति नॉन-प्रैक्टिसिंग भत्ते के समान है, और रेल्वे बोर्ड ने दिनांक 29.12.1999 को निर्देश जारी किये यह स्पष्ट करते हुये कि 1.1.1986 को अनुमानित आधार पर संशोधित 1986 से पहले के सेवानिवृत्त लोगों के वेतन में रनिंग अलाउंस नहीं जोड़ा जायेगा।

23. हमारी राय है कि रेल्वे बोर्ड के दिनांक 29.12.1999 के स्पष्टीकरण में यह स्पष्ट किया गया है कि रनिंग अलाउंस जो पहले से ही

सेवानिवृत्ति के समय पेंशन और अन्य लाभों के लिये ध्यान में रखा गया था, उसे 1.1.1986 को काल्पनिक आधार पर संशोधित 1986 से पूर्व सेवानिवृत्त लोगों के वेतन में नहीं जोड़ा जाना चाहिये, मान्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि लिपिकीय त्रुटि के कारण उत्तरदाताओं को दिनांक 1.1.1986 से काल्पनिक लाभ गलत तरीके से तय किया गया प्राप्त हुआ और ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों को अतिरिक्त पेंशन मिल रही है। यह सर्वविदित है कि एक गलती किसी भी पक्ष को कोई अधिकार नहीं देती और उसे सुधारा जा सकता है।

24. हमारी राय है कि पेंशन की गणना के लिये रनिंग भत्ते के लाभ को केवल एक बार ही ध्यान में रखा जाना चाहिये। उत्तरदाताओं की सेवानिवृत्ति के समय उनकी पेंशन तय करते समय इसे ध्यान में रखा गया था। हमारी राय में भविष्य की किसी भी गणना के लिये इसे दोबारा ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है।

25. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब एक ही रैंक के कर्मचारियों के दो समूह अलग-अलग समय पर सेवानिवृत होते हैं, तो एक समूह दूसरे समूह को दिये गये लाभ का दावा इस आधार पर नहीं कर सकता वे समान स्थिति में हैं। हालांकि वे एक ही रैंक से सेवानिवृत्त हुये लेकिन वे एक ही वर्ग सजातीय समूह के नहीं हैं इसीलिये अनुच्छेद-14 का लागू नहीं है। नियोक्ता किसी भी नयी पेंशन/सेवानिवृत्ति को शुरू करने के

लिये या किसी मौजूदा योजना को बंद करने के लिये वैध रूप से एक कट-ऑफ तारीख तय कर सकता है। भेदभावपूर्ण यह है कि एक लाभ को पूर्वव्यापी (या संभावित रूप से) पेश करना है, जिसमें मनमाने ढंग से एक कट-ऑफ तारीख तय की जाती है, जिससे पेशनभोगियों के एक ही समरूप वर्ग को दो समूहों में विभाजित किया जाता है और उन्हें अलग-अलग उपचार के अधीन किया जाता है कर्नल बी.जे. अक्कारा (सेवानिवृत्त) बनाम भारत सरकार। (2006) 11 एस.सी.सी. 709, डी.एस. नकारा बनाम भारत संघ (1983) 1 एस.सी.सी. 305, कृष्ण कुमार बनाम भारत संघ (1990) 4 एस.सी.सी. 207, इंडियन एक्स-सर्विसेज लीग बनाम भारत संघ (1991) 2 एस.सी.सी. 104, वी. कस्तूरी बनाम प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, (1998) 8 एस.सी.सी. 30 और यूनियन ऑफ इण्डिया बनाम डॉ. विजयपुरा सुब्बायम्मा, (2000) 7 एस.सी.सी. 662।

26. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुये, हमारी राय है कि रनिंग भत्ते का लाभ जो प्रतिवादी को सेवानिवृत्ति के समय दिया गया है, कार्यालय ज्ञापन दिनांक 10.2.1998 के तहत दोबारा नहीं दिया जाना चाहिये।

27. तदनुसार रिट याचिका संख्या 4648/2002 जिसे इस न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, को स्वीकार किया जाता है और केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के दिनांक 22.01.2002 के आदेश

को रद्द किया जाता है। यह निर्णय उच्च न्यायालयों या न्यायाधिकरण में लंबित सभी समान मामलों पर लागू रहेगा।

28. हालांकि, उत्तरदाताओं और अन्य समान स्थिति वाले व्यक्तियों को पहले ही भुगतान की गयी कोई भी राशि उनके वसूल नहीं की जायेगी।

29. स्थानान्तरण मामले की अनुमति दी गयी है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी नरेन्द्र कुमार खत्री (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।